प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः- 04.09.2021

# महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

## थाना श्रीनगर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम की बदमाशों के साथ हुयी पुलिस मुठभेड, मुठभेड़ में लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर अभियुक्त सहित 06 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी सम्पत्ति सहित 04 अदद तमंचा, 01 अदद खोखा व भारी मात्रा में जिन्दा कारतूस बरामद-

दिनांक 30.08.2021 को थाना श्रीनगर अन्तर्गत ग्राम ननौरा नि0 सीताराम वर्मा ने बताया कि वह अपने व्यक्तिगत कार्यों से नौगाव (म0प्र0) से वापस ननौरा आते समय ग्राम ननौरा के पास दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार लुटेरो द्वारा वादी उपरोक्त की चार पहिया गाडी को रूकवाकर तमंचे की बट से गाडी का शीशा तोड देना तथा गाडी मे बैठी महिलाओ से दो मंगलसूत्र व सात हजार रूपये नगद लूट लेने व वादी को सिर मे तमंचे की बट मारकर घायल कर देने के संबंध में तहरीरी सूचना दी थी जिस पर थाना श्रीनगर में उक्त लूट के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 132/21 धारा 394 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था।

उक्त लूट की घटित घटना के संबंध मे पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा घटना का अति शीघ्र अनावरण करने व लूटी गई संपत्ति बरामद करने व लुटेरो को गिरफ्तार करने के कडे निर्देश दिये गये जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के पर्यवेक्षण में थाना श्रीनगर पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त टीम का गठन किया गया।

ग्राम ननौरा में घटित घटना के सफल अनावरण हेतु गठित संयुक्त टीमें निरन्तर थाना क्षेत्र मे सक्रिय थी कि दिनांक 03.09.21 की अर्धरात्रि में बिन्ने पहाडिया के पास पुलिया पर कुछ व्यक्तियो के अवैध शस्त्रो के साथ किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की योजना बनाने का पता चला, इस सूचना पर पुलिस टीम छिपते-छिपाते बिन्ने पहाडिया के पास पहुची जहां अभि0गण धीरे-धीरे बातचीत कर डकैती की योजना बना रहे थे, पुलिस टीम द्वारा तेज आवाज मे ललकारा गया तो उक्त पुलिया पर बैठे व्यक्तियो मे से एक व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से पुलिस की संयुक्त टीम के ऊपर फायर कर दिया, पुलिस टीम द्वारा हिकमत अमली से अभियुक्तगणो का सामना करते हुए स्वयं को बाल- बाल बचाया गया व योजना बद्ध तरीके से एक बारगी दविश देकर वहद ग्राम बिलखी सूपा रोड पर बिन्ने की पहाहिया के पास पुलिया के पास मौके पर मौजूद 06 व्यक्तियो को पकड लिया तथा जिसमें से 01 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने मे सफल रहा, गिरफ्तार शातिर अपराधियो के पास से अवैध तमंचा कारतूस व लूटी हुई सामग्री व उक्त लूट की घटना मे प्रयुक्त

मोटरसाइकिलें बरामद हुई, पूछतांछ मे ज्ञात हुआ कि ग्राम ननौरा की लूट की घटना को अभियुक्त नरेन्द्र राजपूत नि0 जरौली व अभियुक्त प्रदीप राजपूत नि0 बल्लाय थाना क्षेत्र खरेला ने अंजाम दिया था, नरेन्द्र राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया है व प्रदीप राजपूत भाग गया है। लूट की सामग्री बरामद होने के आधार पर मुअस 132/21 धारा 394 भादवि मे धारा 411 भादवि की वृद्धि की गई व अवैध असलहा कारतूस से लैस होकर इकट्ठे होकर डकैती की योजना बनाने व पुलिस टीम पर फायर करने के आधार पर अभि0गणो के विरूद्ध मु0अ0स0 135/21 धारा 399/402/307 भादवि (पुलिस मुठभेड) व अवैध शस्त्र कारतूस बरामदगी के आधार पर 4 नफर अभि0गणो के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम के पृथक पृथक अभियोग पंजीकृत किये गये हैं।

## गिरफ्तारी करने वाली संयुक्त टीम –

### थाना श्रीनगर टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार 2. व0उ0नि0 लाखन सिंह 3. हे.का.रामेन्द्र सिंह 4. का.लवकुश कुमार 5. का.उपेन्द्र सिंह 6.का.सत्यदेव

### SOG टीम-

1. प्रभारी उ0नि0 श्री राहुल परमार 2. उ0नि0 राजबहादुर सिह 3. का0 अभिजीत पाण्डेय 4. का0 नरेन्द्र कुमार 5. का0 अंशुल दुबे 6. का0 दीपक वर्मा 7. का0 शैलेन्द्र कुमार

## गिरफ्तारशुदा अभि0गण –

1- मोगेन्द्र राजपूत पुत्र रामहेत उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम ददरी थाना आटा जनपद जालौन
2- अभिषेक राजपूत पुत्र भान सिह उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम ददरी थाना आटा जनपद जालौन 3- अंशुल पुत्र कामता प्रसाद गुप्ता उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा 4- नरेन्द्र राजपूत पुत्र अशोक राजपूत उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम जरौली थाना खरेला जनपद महोबा 5- राजू राजपूत पुत्र विन्दावन राजपूत उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम महुआबांध थाना अजनर जनपद महोबा 6- छोटेलाल पुत्र घसीटा राजपूत उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम महुआबांध थाना अजनर जनपद महोबा

## विवरण बरामदगी व पंजीकृत अभियोग विवरण।

| क्रम सं0 | पंजीकृत अभियोग | धारा | अभियुक्त | बरामदगी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 132/21 | 394/411 भादवि | नरेन्द्र राजपूत पुत्र अशोक राजपूत उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम जरौली थाना खरेला जनपद महोबा | लूट की सामग्री एक मंगलसूत्र व 1500 रूपये |
| | | | प्रदीप राजपूत पुत्र उदयभान निवासी ग्राम बल्लाय थाना खरेला जनपद महोबा (भागा हुआ) | - |
| 2 | 135/21 | 399/402/307 भादवि (पुलिस मुठभेड) | 1- मोगेन्द्र राजपूत पुत्र रामहेत उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम ददरी थाना आटा जनपद जालौन 2- अभिषेक राजपूत पुत्र भान सिह उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम ददरी थाना आटा जनपद जालौन 3- अंशुल पुत्र कामता प्रसाद गुप्ता उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा बोर 4- नरेन्द्र राजपूत पुत्र अशोक राजपूत उम्र | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 21 वर्ष निवासी ग्राम जरौली थाना खरेला जनपद महोबा 5- राजू राजपूत पुत्र विन्दावन राजपूत उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम महुआबांध थाना अजनर जनपद महोबा 6- छोटेलाल पुत्र घसीटा राजपूत उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम महुआबांध थाना अजनर जनपद महोबा 7. प्रदीप राजपूत पुत्र उदयभान निवासी ग्राम बल्लाय थाना खरेला जनपद महोबा (भागा हुआ) | |
| 3 | 136/21 | 3/25 आर्म्स एक्ट | अभिषेक राजपूत पुत्र भान सिह उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम ददरी थाना आटा जनपद जालौन | एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर |
| 4 | 137/21 | 3/25 आर्म्स एक्ट | अंशुल पुत्र कामता प्रसाद गुप्ता उम्र 18 वर्ष नि0 ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा | एक अदद अवैध तमंचा व एक अदद कारतूस 12 बोर |
| 5 | 138/21 | 3/25 आर्म्स एक्ट | नरेन्द्र राजपूत पुत्र अशोक राजपूत उम्र 21 वर्ष नि0 ग्राम जरौली थाना खरेला जनपद महोबा | एक अदद अवैध तमंचा व एक जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व लूट की सामग्री एक मंगलसूत्र व 1500 रूपये |
| 6 | 139/21 | 3/25 आर्म्स एक्ट | राजू राजपूत पुत्र विन्द्रावन उम्र 42 वर्ष नि0 ग्राम महुआ बांध थाना अजनर जनपद महोबा | एक अदद अवैध तमंचा व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर |

## आपराधिक इतिहास -

| क्रम | नाम अभियुक्त | आपराधिक इतिहास |
|---|---|---|
| 1 | मोगेन्द्र राजपूत पुत्र रामहेत उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम ददरी थाना आटा जनपद जालौन | मुअस 106/21धारा 392 भादवि थाना कोतवाली उरई जालौन, मु0अ0सं0 126/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोत0उरई जालौन |
| 2 | अभिषेक राजपूत पुत्र भान सिह उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम ददरी थाना आटा जनपद जालौन | मु0अ0सं0 143/20 धारा 399/402भादवि थाना आटा जालौन |
| 3 | नरेन्द्र राजपूत पुत्र अशोक राजपूत उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम जरौली थाना खरेला जनपद महोबा | मुअस 146/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खरेला<br>मुअस 541/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली महोबा<br>मुअस 132/21 धारा 394/411 भादवि थाना श्रीनगर महोबा<br>मुअस 135/21धारा 399/402/307 भादवि (पुलिस मुठभेड) थाना श्रीनगर जनपद महोबा<br>मुअस 138/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना श्रीनगर |

**अभि0गणो के अन्य आपराधिक इतिहास के बारे मे जनपद के थानो व सीमावर्ती जनपदो से जानकारी की जा रही है।**

# थाना अजनर पुलिस टीम ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद -

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आर.के.गौतम के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह के नेतृत्व में अबैध शस्त्र रखने व शस्त्र बनाने वालो के बिरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक श्री अभिमन्यू यादव थाना अजनर द्वारा गठित टीम में वरिष्ठ उ.नि. रामप्रताप यादव हमराह हे.का. सत्यप्रकाश दीक्षित व का. कुँवर पाल थाना अजनर जनपद महोबा द्वारा मुखविर की सूचना पर अभियुक्त देवेन्द्र यादव **S/O** बालमुकुन्द उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम टोलासोयम थाना चरखारी जिला महोबा हाल निवासी वघौरा थाना अजनर जिला महोबा को यात्री प्रतीक्षालय वघौरा वुधवारा मोड़ वहद ग्राम वुधवारा से आज दिनांक 04.09.2021 को मय 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर मु.अ.स. 159/2021 धारा **3**/25 आर्म एक्ट पंजीकृत किया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्त-

देवेन्द्र यादव **S/O** बालमुकुन्द उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम टोलासोयम थाना चरखारी जिला महोबा हाल निवासी वघौरा थाना अजनर जिला महोबा।

## गिरफ्तार करने पुलिस टीम-

1. वरिष्ठ उ.नि. रामप्रताप यादव थाना अजनर जनपद महोबा
2. का हे.का. सत्यप्रकाश 3. का. कुवरपाल थाना अजनर जनपद महोबा

# महोबा पुलिस

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांकः- 04.09.2021**

**सोशल मीडिया सेल**

## "मिशन शक्ति-3" के अंतर्गत जनपद महोबा में महिला बीट अधिकारियों द्वारा बीट में पहुंचकर "चौपाल लगाकर" बालिका/महिलाओं को किया गया जागरूक-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा मिशनशक्ति फेज 3.0 अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के पर्यवेक्षण में तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों एवं प्रभारी निरीक्षकों/थाना प्रभारियों, थानों पर नियुक्त महिला बीट आरक्षियों सहित एन्टी रोमियों स्क्वायड को अपने अपने थाना क्षेत्रों में बालिकाओं/ छात्राओं एवं महिलाओं को महिला अपराधों के प्रति जागरूक, स्वाबलम्बी व आत्म रक्षा के प्रति जागरुक करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

इसी क्रम में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति निरीक्षक रचना सिंह द्वारा थाना कबरई के ग्राम पहरा अवस्थित पंचायत भवन में व जनपद के थानों की महिला बीट आरक्षियों क्रमशः म.का. प्रिया देवी, रुमन यादव, रवीना सरोज द्वारा डाक बंगला रोड, तिवारीपुरा, **GGIC** कालेज कस्बा पनवाड़ी में में जाकर "चौपाल लगाकर" मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई की गयी तथा "मिशन शक्ति" के सम्बन्ध में सभी बालिकाओं/महिलाओं को जागरूक किया एवं उनकी समस्याओं को सुनकर निस्तारण किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों **1090** वूमेन पावर लाइन, **181** महिला हेल्पलाइन, **108** एंबुलेंस सेवा, **1076** मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, **112** पुलिस आपातकालीन सेवा, **1098** चाइल्ड लाइन, **102** स्वास्थ्य सेवा, **155260** साइबर सुरक्षा आदि के बारे में भी जागरुक किया गया तथा प्रत्येक थाने पर महिला शिकायतकर्ता के लिए स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई जहां पर कोई भी महिला/बालिका निर्भीक होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः- 04.09.2021

# महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

## अग्निशमन टीम ने मॉक ड्रिल कर फॉयर सेफ्टी उपकरणों को चलाने का दिया प्रशिक्षण-

मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के प्रथम चरण को संचालित करने हेतु आज दिनांक **04.09.2021** को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के आदेशानुसार अग्निशमन टीम एवं आपदा प्रबंधन टीम द्वारा डीएवी इंटर कॉलेज थाना कोतवाली महोबा, नेहरू इंटर कॉलेज थाना कोतवाली महोबा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज कनकुवा थाना पनवाड़ी तथा राजकीय हाईस्कूल नैपुरा थाना महोबकंठ में उपस्थित समस्त बालक बालिकाओं एवं वहा मौजूद समस्त स्टाफ को फायर सेफ्टी उपकरणों को चलाने वा आपातकालीन स्थिति में आग से बचाव एवं रेस्क्यू करने का प्रशिक्षण दिया गया।

### अग्निशमन टीम-

1. एफएसओ देवेश तिवारी 2. चालक रमाशंकर

3.लीडिंगफायरमैन जाहिर सिंह 4.फायरमैन सरफराज खान

5. महेश पांडे 6. इंद्रजीत वर्मा

# थाना कबरई पुलिस टीम ने दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में अपराध की रोंकथाम एवं अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.09.2021 को थानाध्यक्ष कबरई दिनेश सिंह के द्वारा गठित उ0नि0 महेन्द्र सिंह तोमर मय हमराही, कां0 धर्मेन्द्र यादव, पीआरडी चन्द्रपाल, हो0गा0 तीरथ प्रसाद, के नेतृत्व में टीम द्वारा अभियान में शामिल होकर थाना हाजा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 162/21 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डी.पी. एक्ट में वांछित चल रहे अभि0 करन सिंह पुत्र पुत्तू सिंह उम्र करीब 46 वर्ष निवासी ग्राम छानी कला थाना कबरई जिला महोबा को पाडे पुलिया के पास कानपुर रोड कस्वा व थाना कबरई से गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

## गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 महेन्द्र सिंह तोमर
2. कां0 धर्मेन्द्र यादव 3. हो0गा0 तीरथ प्रसाद 4. पीआरडी चन्द्रपाल शर्मा

## गिरफ्तार वांछित अभियुक्त-

करन सिंह पुत्र पुत्तू सिंह उम्र करीब 46 वर्ष निवासी ग्राम छानी कला थाना कबरई जिला महोबा

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः- 04.09.2021

# महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल


## जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद में पैदल गस्त करके कस्बे में की गई संदिग्धों की चेकिंग

आज दिनाँक 04.09.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, ढाबा आदि जगहो पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगो को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई । इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब कि दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

यातायात नियमो के उल्लंघन पर **34 ई-चालान** एवं कोविड़-19 नियमों के उल्लघंन पर **04 व्यक्तियों में 400रु0** वसूला गया।